


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम

प्रकरण संख्या / अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
०१ ११/२३	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं। पूर्व में कई अवसर दिए गए। लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्यवादी व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की गई है। पत्रावली उदम साक्ष्य में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली विणीत होकर गम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर </p>

